

[Shri N. H. Kumbhare]

tice. This is what I wanted to say. I again urge upon the Home Ministry to see that this matter is taken up with the Chief Minister and he is asked to take suitable action against these three people.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1974

(Substitution of new article for Art. 163).

SHRI N. R. CHOUDHURY (Assam): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI N. R. CHOUDHURY : Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1974

(To amend the articles 75 and 164).

SHRI N. R. CHOUDHURY (Assam) : Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI N. R. CHOUDHURY : Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1974

(To amend articles 74 and 163)

SHRI N. R. CHOUDHURY (Assam) : Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI N. R. CHOUDHURY: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1974

(To amend Art. 316)

श्री श्रीधर प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

The question was put and the motion was adopted.

श्री श्रीधर प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shrimati Lakshmi Kumari Chundawat. She is not here. Now, the House stands adjourned till 3.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at twenty-three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past three of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

THE MEMBERS OF PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES (IMMUNITY FROM DETENTION) BILL, 1970—contd.

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, Sir, last time in the introduction to my speech I had indicated that I have my differences with Shri Bhupesh Gupta's Resolution to the extent that he refers to immunity from detention without trial only for Members of Parliament and State Legislatures. I do not agree with him that Members of Parliament and Members of State Legislatures alone should have some special privileges in this regard. I demand that detention without trial should not be resorted to for any citizen in India whether he be a member of Parliament, or a Member of State Legislature or not. I agree with the spirit of his Resolution that the Government should not have the right, the autocratic semi-fascist right to keep people under arrest or arrest people and keep them under detention without trial. I agree with the spirit of that Resolution but the wording must be changed accordingly.

Sir, if you look into the experiences of the people during the last 26 years after Independence, you will find that instead of Rama Rajya, which was promised by the Congress and the ruling Party, we have today a Police Rajya with substantial powers in the hands of the police both at the State level and the Central level. Sir, the expenditure on Central police in 1950-51 was only Rs. 3 crores but it increased to Rs. 25 crores in 1964-65 and to Rs. 72 crores in 1968-69 and in the recent budget of 1974-75 it has jumped to Rs. 169.39 crores.

At the same time, State police forces increased their expenditure from a meagre Rs. 13.06 crores in 1946-47, on the eve of our independence, to Rs. 312.93 crores in 1973-74. Sir, the major elements of the Centre's repressive force are

the CRP, the CISF and also the BSF. The Central Reserve Police today has about 60 battalions, the expenditure mounting from 1.97 crore rupees in 1960-61 to Rs. 39.43 crores in 1973-74. Similarly, the Central Industrial Security Force (CISF) has about 17,300 personnel. They are expected to behave like watch and ward forces particularly in the various public undertakings—71 in number—which have already been inducted. I understand that induction at the International Airport in Delhi has already been done in 1973-74 and the Government proposes to have induction at the International Airports in Bombay, Madras and Calcutta.

I would specifically like to bring out the repressive character of not only the CRP but also the BSF. Sir, the Border Security Force has completed in 1973-74, the eighth year of its existence and it has 80 battalions. In 1968-69 the expenditure on BSF was only Rs. 26.24 crores which has jumped to Rs. 57.41 crores in the recent budget. Sir, I would like to mention that the BSF has developed as a parallel Central police force and it has deviated from the original purpose for which Parliament had given sanction. At the time when the BSF Bill was introduced, the Minister had indicated that the purpose was to have the security of the border, but the BSF has deviated from its original purpose and its battalions have been used to suppress the people even in States like Andhra Pradesh which cannot be, by any stretch of imagination, considered to be border States. Sir, the real object of the BSF and the CRP is repression of the people. In Ahmedabad, for instance, the BSF used poisonous shells and fired indiscriminately. Sir, in Manipur, Nagaland and Mizo Hills the BSF under the garb of sensitive areas, has even started clearly trying to keep the local people away from the mainstream of political and social life in India. There is a situation of mass murder, mass rape, mass looting and arson. For instance, the Commandant and the Deputy Commandant of the BSF raped a girl—which came in the paper saying that they have committed such heinous crimes as parading women in the nude in the open in the village of Rihand by one Major Dharam Prakash of the BSF. Shri Rustomji, the top man of the BSF is involved in a Delhi land grab scandal. Brigadier Pande, Inspector-General of the BSF, during the Bangladesh operations looted many treasuries and collected crores of rupees. This fact is known to Field Marshal Manekshaw and the Director General of BSF, but so far no inquiry has been

made and they have hushed up the whole matter and one wonders how the loot has been divided among the top echelons in the BSF and the Government. Similarly, Inspector Kedar Singh of the BSF Academy who brought Rs. 80,000 from Bangladesh as loot was promoted as Dy. S.P. In Gujarat it is reported that 2,000 camels and other animals were looted by the BSF at Nagarparkar and Bhuj areas and were sold in open auction by Brigadier Irani, a relation of Rustomji and one wonders where the ill-gotten money has gone.

Sir, I would like to mention also about the erosion of powers of the State Governments. According to List II of the Seventh Schedule of the Constitution police and public order are State subjects but the Home Ministry in the name of modernisation of the police force, in the name of law and order, in the name of national integration and so on has continuously eroded the powers of the State Governments. For modernisation of the police force in 1969-70 the Central Government has spent Rs. 5 crores. Madam Prime Minister is using the Research and Analysis Wing as a Gestapo organisation with the object of keeping a small coterie of people in power. Sir, democracy has been murdered in this country. Elections are being rigged as in West Bengal and other States with the help of the Central Reserve Police. Secret murders which are politically motivated are taking place in the country. Blackmail and political murders have become the order of the day directly using the enormous powers which the Central Government has amassed.

Lastly I would like to bring to your notice and through you to the notice of the House that during the recent railway strike a new phenomenon has taken place. The repressive arms of the Government are being increasingly used to suppress all legitimate struggles of the people. Sir, according to a letter which is supposed to be a confidential letter, No. 8/12/74-Pol./D.I. dated 7-4-1974 issued by Shri C.V. Narasimhan to the Chief Secretaries of the various States Governments relating to the Railway strike, I quote here,

"One of the important ingredients to preventive action will be arrest and removal from the scene of their activities of persons who otherwise would either contribute to the success of the strike or create serious law and order problems."

Sir, I would like to emphasize the words 'who would contribute to the success of the strike'.

[Dr. K. Mathew Kurain]

Even if the strike is peaceful if some of the railwaymen contribute to the success of the strike they are to be put under preventive detention under the MISA. The circular letter also states that the provisions of the MISA could be profitably invoked while undertaking preventive action. Sir, the MISA and the DIR have been used to break the legitimate struggles of the working people of this country. Therefore it is very clear that amassing such wide powers for the CRP, BSF, etc. would only lead the country to the verge of collapse, to the verge of complete murder of Indian democracy and the beginning of a period of semi-Fascist terror in the country. Therefore I demand that all black laws like DIR, MISA etc. be withdrawn forthwith and the powers amassed by the Central Government for the CRP, BSF, etc. be withdrawn. Parliament should refuse to give them any power to keep the people to ransom.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, श्री भूपेश गुप्त ने जो प्रस्ताव पेश किया है विधेयक के रूप में उस प्रस्ताव की मंशा बहुत ही सीमित है और हम अपने मित्र सी०पी० एम० के जो संसद सदस्य बोले हैं उनके विचारों से सहमत हैं।

यह विधेयक यदि अधिनियम का स्वरूप ग्रहण कर ले तो केवल समद और राज्य विधान सभों के सदस्य ही इसका फायदा उठा पायेंगे और आम जनता जो अपने देश की है वह इसका कोई फायदा नहीं उठा पायेगी। इसलिये मैं चाहता हूँ—भूपेश गुप्त जी यहां पर नहीं हैं—कि वह इसकी लीगल नाइसिटीज जो है वह जैसे तैसे कर ले और इसके उद्देश्य और कारणों तथा विधेयक की धाराओं में इस तरह से संशोधन करले जिससे कि इस देश का कोई भी नागरिक डिटेनशन, प्रिवेंटिव डिटेनशन में नजरबन्द नहीं किया जा सके।

जब तक उसका कोई सबसटैन्टिव चार्ज न हो तब तक वह जेल की सीर नहीं कर पायेगा; यह बिल्कुल सही बात है और इस बात को किसी भी जनतंत्रीय सरकार को मानने में गुरेज नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि डा० लोहिया 1954 में गिरफ्तार हुए थे नहर आन्दोलन के मामले में, फरूखाबाद में। जब उन्होंने अपना रिट-पैटीशन पेश किया था उस समय थोरो का जिक्र आया था। थोरो ने यह कहा था कि कोई भी सरकार अगर अनजस्टिसली अपने नागरिकों को गिरफ्तार करती है तो ईमानदारी के साथ सच्ची राह पर चलने वाले नागरिकों को जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। यानी इतनी दूर तक लोग सोचते हैं, दार्शनिक सोचते हैं। सरकार किसी को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार न करे और अगर सरकार आदी हो जाती है अन्यायपूर्ण तरीके से लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तो लाजभी है कि न्याय

के रास्ते पर चलने वाले लोगों को जेल जाना ही होगा। उनको वहां रहना ही होगा। उनको कोई रोक नहीं सकता। आज इसी कसौटी पर अगर हमारे माननीय श्रीम मेहता अपनी सरकार को कसें तो श्रीम मेहता जी सरकार को शुद्ध फासिस्ट सरकार, शुद्ध जनतन्त्रवादी सरकार कहेंगे। नागरिकों के अधिकारों को कुचलने वाली सरकार कहेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कस्टीयूशन में मान्यता प्राप्त हैं उनको छीनने वाली सरकार कहा जाएगा। और एक वाक्य में कहें तो आज इस सरकार ने इस संपूर्ण देश को मिलिटरी-कम-पुलिस राज के रूप में बदल दिया है।

श्रीमन्, बहुत दूर आप क्यों जायें आप मेरा ही उदाहरण ले लें। यानी दो बार, एक बार तो 5 अप्रैल को दो महीने के लिये बिहार की सीमा से 60 दिन के लिये हमें हटाया गया। न तो हम वहां प्रवेश कर सकते हैं, न रुक सकते हैं, न ठहर सकते हैं। जब 3 जून को वे 60 दिन खत्म हुए तो 4 तारीख को तुगलका फरमान मिल गया कि 60 दिन तक और श्री राजनारायण बिहार की सीमा से बाहर रहें। वह भी तारीख खत्म हो जायेगी। मैं परसों वहां जाऊंगा तो देखूंगा कि हमारे ऊपर क्या प्राप्त आती है।

मैं पूछना चाहता हूँ इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से जो कि बार-बार जनतन्त्र की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि हम लोग फासिस्ट तरीका अख्तियार कर रहे हैं, जरा अपनी छाती पर हाथ रखें और किसी भी नुकते नजर से देखें...

श्री कामेश्वर सिंह (बिहार) : आप देखिये कि जो बात आप कहते हैं, जो काम आप करते हैं वे सारे एक्शन जस्टिफाई हैं।

श्री राजनारायण : जो सरकार अपने देश के नागरिक को देश के एक ही राज्य में प्रवेश करने से मना करती है वह सरकार जनतन्त्र की अवहेलना करती है, और जनतन्त्रीय प्रणाली और जनतन्त्रीय पद्धति दोनों की जानकारी उस सरकार को नहीं है।

श्रीमन्, मुझे इस बात का फख्र है और मैं समझता हूँ कि आपको स्वतः फख्र होगा कि हम लोग उस देश में रह रहे हैं जिसने निहत्थी जनता पर गोली चलाने वाली सरकार को तोड़ दिया। थानुपिल्लई की सरकार ने निहत्थी जनता पर गोली चलाई जिसमें 7 लोग मारे गए। डा० लोहिया उस समय नेनी जेल में बंद थे। डा० लोहिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने नेनी जेल से तार भेजा कि निहत्थी जनता पर गोली चलाने वाली सरकार को न रहने दो। उसको इस्तीफा देना होगा और उनके इस प्रश्न को लेकर, इस बुनियादी मवाल को लेकर देश की राजनीति में उथल-पुथल मच गई। इसी एक मवाल को लेकर थानुपिल्लई की सरकार गिर गई। हम आपको बता देना चाहते हैं हम वही चीज व्यवहार में लाना चाहते हैं। हमें सत्याग्रह करना है। हम सत्याग्रही हैं मना ग्रही नहीं।

किसी भी कारण से सत्ता को अपने हाथ में बनाये रखना हमारा मकसद नहीं है। अगर वह सत्ता लोक कल्याण की नहीं है, अगर वह सत्ता देश के हित की, जनता के हित की नहीं है, लोकतन्त्र की पद्धति पर चलने वाली नहीं है, तो ऐसी सत्ता को उठाकर फेंकना, ऐसी सत्ता को गिराना हमारा परम कर्तव्य है, चाहे वह हमारी सरकार हो या किसी और की।

तब इस कसौटी पर हम खड़े उतर चुके हैं, इस परीक्षा में हम पास हो चुके हैं। हम इस सवाल को आज इसलिये यहां उठा दिये क्योंकि हमारे बहुत से सदस्यों ने जाने और अनजाने में आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को क्यों कहा कि तुम गलत आदेशों को मत मानना, कल पटना के गांधी मैदान की महती सभा में जयप्रकाश नारायण जी ने इसको साफ किया कि हमने उनको कहा कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें और निरंकुशता के साथ सरकार गोली चलाने को कहे तो वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें—अगर वह “किल” कहे तो चलाएं नहीं तो नहीं चलाये। लाई कान्वालिस के जमाने से हमारे देश की पुलिस का सेट-अप क्या है? हमारे देश की पुलिस का ढांचा क्या हुआ हो, पुलिस के सीपीय के लिये उसने कहा है कि—द सीपीय इज टु ओबे, पुलिस का सिपाही केवल आर्डर को ओबे करने का अधिकारी है। मैं कहना चाहता हूं, वह साम्राज्यवादी सरकार थी। लेकिन आज जो सरकार अपने को जनतन्त्रवादी कहती है क्या आज उसने इस नियम में कोई परिवर्तन किया है? हमसे कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं उत्तर प्रदेश में सेना का प्रयोग कर दिया गया, पी०ए०सी० के जवानों पर। यहां मंत्रियों ने बयान दिया कि राजनारायण ने विद्रोह करा दिया पी०ए०सी० में। मैं एक बार नहीं हजारों बार पुलिस को कहना चाहता हूँ कि पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर सरकार निरंकुश होकर देश के नागरिकों पर गोली चलाने के लिए बाध्य करे तो इस निरंकुश और बेहूदा आदेश को...

श्री कामेश्वर सिंह : क्या आपकी सरकार ने, संविद की सरकार ने, बिहार और उत्तर प्रदेश में गोली नहीं चलाई है? आपके पास राजनारायण जी, इसका जबाब नहीं है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैंने पहले ही कह दिया। अगर हमारे मित्रों को इससे सतोष नहीं है कि हम अपनी सरकार तोंड चुके हैं।

श्री एन०आर० चौधरी (आसाम) : आपने नहीं तोड़ा, जनता ने तोड़ा।

श्री राजनारायण : अगर हमारी सरकार ने निरंकुश जनता पर

श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी (बिहार) : पौइन्ट आफ आर्डर। क्या कर्पूरी ठाकुर ने मासूम बच्चों, गरीबों, हरिजनों, बे-सहाराओं को पुलिस से नहीं पिटाया था अपने चीफ मिनिस्टर काल में? मैं नहीं समझता किसी कायेंसी का ऐसा दिल होगा।

श्री कामेश्वर सिंह : इन्होंने हरिजनों को पिटाया, गोली चलाई। बड़ी शर्म की बात है।

श्री राजनारायण : मैं हड़बोग में बोल नहीं पाता। हम तो चाहते हैं दूसरों की बात को समझे अपनी बात लोगों को समझाये अगर चूक सत्ताधारी दल समझता है कि राजनारायण की बात इतनी सही है, गले के नीचे उतरने वाली है, कि बाकी लोग मुर्गे तो उनके पक्षधारी हो जायेंगे इसलिये वे बीच में हल्ला मचाते हैं। मैं आज भी कहता हूँ और लोगों को मालूम भी है कि अगर श्री रामानंद तिवारी ने अपने घर मंत्री पद के जमाने में बिहार में गोली चलाई तो हमारी राष्ट्रीय ममिति ने उनकी भर्त्सना की, भर्त्सना के बाद कहा कि आप फौरन जाच कराइये और जाच नहीं कराते तो इस्तीफा करें। उस समय हमारे मित्र जो यहां बोल रहे हैं वे हमारे दल थे, आज सरकार सत्ताधारी दल में चले गये हैं। श्रीमन्, इस सवाल को अब मैं यही छोड़ देता हूँ। सत्ताधारी दल के सम्मानित सदस्यों को कहता हूँ कि इस पर अच्छी तरह से विचार करें।

चूक कर्पूरी ठाकुर का नाम उन्होंने ले लिया इसलिये कर्पूरी ठाकुर पर ही आ जाता हूँ। हमारे मित्र ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं—वे कर्पूरी ठाकुर आज श्री गफूर के मंत्रिमंडल में गिरफ्तार होते हैं, उनको भागलपुर की जेल में एक मेल में बद किया जाता है; उनको पहनने के लिये कपड़ा नहीं दिया जाता है, खाने के लिये बर्तन नहीं दिया जाता है और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ कर बाहर के किसी आदमी को मिलने नहीं दिया जाता है। श्रीमन्, कर्पूरी ठाकुर का लड़का जब उनमें मिलने गया तो 5 सी०आई०डी० के आदमी साथ थे। वे टेलीफोन पर हमको आवां में आसू लाकर गिड़गिड़ा रहे थे...

श्री कामेश्वर सिंह : उपसभापति जी, मैं इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ जब ये कहते हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर टेलीफोन पर बोल रहे थे तो वे उनके आसू देख रहे थे।

श्री राजनारायण : अमल में जिस आदमी को आसू भरे और रुद्धे हुए गले की आवाज की परख नहीं है वह हमारी बात को कैसे समझ सकता है? जब आवां में आसू भरे होंगे और गला रुद्धा हुआ होगा, तो फिर रुद्धे हुए कंठ की आवाज विचित्र ढंग से निकलती है और इसी से हम अन्दाजा लगा लेते हैं। श्रीमन्, श्री कर्पूरी ठाकुर के लड़के ने हमको बतलाया कि अगर आप उनको देखेंगे तो पहचान नहीं सकेंगे कि ये कर्पूरी ठाकुर है या नहीं है? जेल में कर्पूरी ठाकुर को यातनाये दी गई है। इस तरह की जो सरकार यातना देती है, क्या वह जनतन्त्री सरकार है? क्या आप इस सरकार को जनतन्त्री सरकार कहेंगे। क्यों कहेंगे? वही कहेगा, जो अपना मिर शुर्तुमंग की तरह जमीन में गाढ़ दे।

[श्री राज नारायण]

श्रीमन्, इतना ही नहीं, वहाँ पर श्रीमती सरला भदोरिया को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें "सी" क्लाम में रखा गया। आप जानते हैं कि वे इस राज्य सभा की सदस्या रह चुकी हैं। जब उनकी गिरफ्तारी का तार हमको मिला तो हमने उसको मिश्री साहब को दिखलाया। उन्होंने कहा कि ये बातें आप लिख कर भेज दीजिये। अब वे जेल में छूट गई हैं। कमन्डर अर्जुन सिंह भदोरिया, जो सदन के दो, तीन बार सदस्य रह चुके हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा गया है।

श्री कामेश्वर सिंह : "सी" क्लाम तो स्वनः ससोपा के लोग मानते हैं और इस तरह की गलत बात आप क्यों कहते हैं ?

श्री राजनारायण : आप को जब अच्छी तरह से बात मालूम नहीं है, तो मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मैं इन बातों को इसलिए बतला रहा हूँ ताकि आपको अन्दाजा लग जाए कि वे किस हैमियत के आदमी हैं और मैं इस चीज के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। किन्तु मैं ने जेल काटा, क्या किया और क्या नहीं किया, इन चीजों को कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जिस समय यहाँ पर डिटेन्शन का कानून आया तो उस समय कहा गया था कि इस समय चीन का युद्ध चल रहा है और तब ही यह कानून लाया गया है। युद्ध जो चीन के साथ हुआ, वह समाप्त हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की लड़ाई आई और वह भी समाप्त हो गई। उस समय भी यही कहा गया था कि जब यह युद्ध समाप्त हो जायेगा तो यह कानून समाप्त कर दिया जाएगा। अब यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन लगातार चलने वाला एक कानून हो गया है। (Time bell rings) श्रीमन्, अभी हमें बोलते हुए 10 मिनट भी नहीं हुए।

श्री उपसभापति : अब यहाँ पर कानून हो गया है कि 15 मिनट में ज्यादा कोई नहीं बोले।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारे 10 मिनट तो बीच में टोकाटोकी में ही चले गये। आज किस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकार किस तरह से नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है, उसके बारे में आपको एक उदाहरण दूँगा। मैं आपके सामने एक तार पढ़ देना चाहता हूँ। यह तार हमारे पास है और जिसमें यह लिखा हुआ है :—

"Received telegraphic call from Abdul Razak, Simla, writ petitioner before Himachal High Court, against Fakhruddin Ali Ahmed, intimating that entire Government machinery with Fakhruddin Ali Ahmed. Harassing and ordering of the petitioners to withdraw the writ from Himachal High Court for corruption and malafides against Fakhruddin Ali Ahmed with the threat that if not withdrawn

there shall be danger to life for the petitioners".

ABDUL WADOOD

General Secretary Haryana Wakf Council

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) This has nothing to do with the scope of the Bill.

SHRI GULABRAO PATIL (Maharashtra) : On a point of order, Sir. How is this telegram relevant ?

SHRIMATI PURABI (MUKHOPADHYAY (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I can understand the heart-burning of Mr. Jayaprakash Narayan as against the Presidential candidate we have put up.

DR. K. MATHEW KURIAN : He did not mention about Jayaprakash Narayan ? What is the relevance ?

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY : Mr. Deputy Chairman, Sir, he is only quoting from a telegram. Taking advantage of the privilege of this House, he is trying to malign a candidate with an eye to the poll. I take exception to this kind of thing being allowed in the House because a telegram is never an authentic document. I can send a telegram in the name of anybody. Will you accept it as an authentic document, an official document ? So, Mr. Deputy Chairman, whatever Mr. Rajnarain has said should be expunged from the record.

DR. K. MATHEW KURIAN : On a point of order. The honourable Mr. Rajnarain has read out a telegram and the authenticity of it he has already given. We cannot go on examining the authenticity of each telegram. Telegrams have been read out in this House. Whatever telegram he has read out, we have to take it on the face value. The relevance of it is for you to judge. But in this case just because the question relates to the Presidential candidate of the ruling party, they should not get unnecessarily perturbed. It will not add to their value and the dignity of their own candidate to raise this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Rajnarain is being irrelevant. This is very clear. I would request him to finish his speech in two minutes and be relevant to the business before the House.

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : पीइन्ट आफ़ आर्डर/उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इस राज्य सभा के फ़ोरम का राष्ट्रपति पद

के किसी उम्मीदवार के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिये ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने इन लोगों के पीइस्ट आफ आर्डर को नहीं माना । आदरणीय चौधरी साहब से, जो हमारी हाउसिंग कमेटी के चैयरमैन भी है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सदरलैंड है, इसमें चार कालम की खबर है, जिसका हैडिंग है "पिटीशनर्स अगेन्स्ट अहमद वीटन अप ।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Rajnarain, you keep to the Bill and finish in two minutes.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने कितनी दूर तक जाकर इसकी परख की है । मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बिना डिटेल् में जाए, बिना गहराई में जाए हम नहीं बोलते हैं । आज मिस्टर अग्रवाल, एडवोकेट आफ सुप्रीम कोर्ट, जो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में कर रहे हैं, उन्होंने मेरे सामने, चौधरी चरण सिंह के सामने आकर बयान दिया कि कल हमारे सामने गुडगाव के कलेक्टर, पुलिस कप्तान, कोई कांग्रेस कमेटी के

श्री रणवीर सिंह : विलकुल गलत है ।

श्री राजनारायण : खुर्शीद अहमद, जनरल मेक्रेटरी हरियाणा, पिटीशनर को लेकर आये...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have been asking you to be relevant. Please finish.

श्री राजनारायण : और कहा कि इनका मुकदमा वापस ले । तो मैं कहना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है । मेरा सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना है कि हर नागरिक को अधिकार है न्यायालय के सामने जाने का । अगर नागरिक इस तरह से पीटे जाये, पुलिस पीटे, क्लेक्टर पीटे, कांग्रेस के लोग पीटे... (Interruption) किम लिए पीटे ? इसलिये कि रिट पिटीशन वापस ले ले । यह जनतंत्र है ? क्या इसे हम जनतंत्र कहेंगे ?

मैं यह कहूँगा कि जिस ढंग से भूपेश गुप्त ने अपने प्रस्ताव को रखा है, हम उनके प्रस्ताव की मंशा के साथ हैं, लेकिन वह प्रस्ताव उनके मकसद को पूरा नहीं करता, वह अधूरा है । मैं चाहूँगा कि उसकी परिधि व्यापक हो, उसमें और लोगों का समावेश हो और इस सरकार पर ऐसा प्रतिबन्ध लगे कि किसी भी नागरिक को प्रिवेटिव डिटेन्शन में, चाहे एडीमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर हो या किसी और पर, न रख सके । फखरुद्दीन अली अहमद अगर वे कैंडीडेट हो गये हैं राष्ट्रपति के पद के लिए तो क्या वे स्वर्गीय हो गये हैं । अगर उन्होंने अपराध किया है, गबन किया है तो उसको खल कर कहना पड़ेगा कि उन्होंने गबन किया है ।

SHRI KAMESHWAR SINGH : All CIA fabrications.

श्री राजनारायण : सी०आई०ए० के ऊपर तो आपकी इन्दिरा है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : श्रीमन्, जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित है भूपेश गुप्त द्वारा उसकी भावना और उसके शब्दों का समर्थन न राजनारायण जी ने किया है, न मैथ्यू कूरियन ने किया है । मैं भी इस विधेयक के शब्दों का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि अगर हमने इस विधेयक को पारित कर दिया तो केवल संसद के सदस्य या विधायक जो स्वयं कानून बनाने वाले हैं अपने लिए स्वयं सुविधा का निर्माण करने वाले हैं, उन्हें बिना ट्रायल के गिरफ्तार न किया जाए और जो देश के बाकी नागरिक हैं उन्हें सरकार जब उसकी मर्जी हो गिरफ्तार करे, यह हो जाएगा । यह देश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा । अगर हमें यह भी होना कि देश का कोई भी नागरिक, साधारण नागरिक या विधायक या संसद-सदस्य, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो शायद यह विधेयक पूर्ण होना । यहाँ कानून मंत्री जी बैठे हैं, अगर वे उचित समझे तो वे ऐमा संशोधन कानून में ला सकते हैं सरकार की ओर से । हम मारे विरोधी दल के लोग उसका समर्थन करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मोसा को लागू करने का सवाल है, जब यह विधेयक लागू किया गया तब सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, जो अराष्ट्रीय, अमामाजिक तत्व हैं, जिनसे राष्ट्र के जीवन को, समाज के जीवन को खतरा है, उनके विरुद्ध ही इस कानून को लागू किया जाएगा, लेकिन पिछले वर्षों का अनुभव इसके विपरीत है ।

मैं मानता हूँ कि कुछ अमामाजिक तत्वों को भी इस प्रकार गिरफ्तार किया गया है और रेडियो में तो एक इस प्रकार का परमानेंट फीचर हो गया है कि अमुक स्थान पर इस व्यापारी को गिरफ्तार किया गया जिस के पास इतना साबुन मिला या अमुक के पास इतना तेल मिला और ऐसे व्यापारियों को मोसा में गिरफ्तार किया जा रहा है । यह एक अच्छी बात है, लेकिन याज्ञ राजनैतिक कार्यकर्ताओं को भी मोसा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि 5 जुलाई को हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड की एक खबर पढ़ कर, जिन में है कि :

"Most of the workers who are arrested under the MISA in West Bengal are Congressmen."

कांग्रेस के लोगों को भी मोसा में गिरफ्तार किया गया है और जब मैंने यह खबर पढ़ी तो मुझे और आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के लोगों को किम प्रकार से गिरफ्तार होई । माननीय मंत्री जी तो इस का उत्तर देते समय कह देंगे कि इस मामले में कोई राजनीतिक भेद भाव नहीं करना गया, कोई पक्षपात नहीं किया गया, कोई सी०पी०एम० या जनसंघ के लोगों को

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]
ही नहीं गिरफ्तार किया गया बल्कि हम ने कांग्रेस वालों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जब उन को गिरफ्तार किया गया है तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाये। आखिर कांग्रेस के लोगो ने कौन सा अपराध किया कि जिस के कारण उनको सीमा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। मुझे राजस्थान की बात पता है। 1965 में वहाँ पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी और उसके बाद 1971 में भी लड़ाई हुई थी और उस समय राजस्थान में जितने लोग बाड़मेर, जयसलमेर और जोधपुर में गिरफ्तार किये गये थे वह सब के सब कांग्रेस के लोग थे। अब लड़ाई के समय जब कोई गिरफ्तार होता है तो उस को प्रिवेंटिव डिटेन्शन ऐक्ट में गिरफ्तार किया जाता है और अगर उस के खिलाफ मुकदमा नहीं चलता तो कौन सा आरोप उस पर है यह स्पष्ट हो जाता है। वह आरोप होता है पाकिस्तान के साथ दोस्ती, उस के लिये गुप्तचरी करना, और जब इस तरह के लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और उनकी राजनीतिक श्रेणी देखी जाती है तो वह सब के सब कांग्रेस के लोग होते हैं। यदि वह अदालत में लाये जाते और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता तो उस से सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही प्रकट नहीं होती कि वह क्या है लेकिन यह भी स्पष्ट होता कि वह किस प्रकार के लोगों का सदस्य के तौर पर कांग्रेस में भर्ती कर रही है और उस से सरकार को भी पता लगता कि वह किस प्रकार के लोगों को सुरक्षण दे रही है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब सरकार कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार करती है तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाये। बिना मुकदमा चलाये लोगों को गिरफ्तार करना और हजारों लोगों को जेलो में डाले रखना यह ठीक नहीं है और सरकार जा यह कानून की आड़ लेकर कांग्रेस के लोग जो कि इस तरह के कामो में हैं उन पर मुकदमा नहीं चलाती है और उनको गिरफ्तार करके डाले रखती है यह देश के लिये एक बहुत गलत बात होगी। इसलिए जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनको सब के सामने आना चाहिये।

अब एक दूसरी स्थिति और चल रही है। इस कानून को रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ प्रयोग में लाया गया, इस को गुजरात में प्रयोग में लाया गया और आज बिहार में इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। और बिहार में राजनीतिक नेता ही नहीं, विद्यार्थी भी, जनता भी और सदस्य भी आज इसके चलते जेलों में पड़े हैं और उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता। एक उदाहरण इस प्रकार का भी सामने आया कि बहादुरपुर जेल के एक सुपरटेन्डेंट थे, उन्होंने सरकार को लिखा कि हम को कैदियों को भेजना है, उन की पेशी अदालत में है और उन के लिये बैन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो पुलिस सुपरटेन्डेंट थे उन्होंने कहा कि हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप कैदियों को अदर रखिये।

हम बैन की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मुबह से शाम हो गई और पुलिस ने जानबूझ कर बैन की व्यवस्था नहीं की। जेल सुपरटेन्डेंट ने कहा कि यह कानून के खिलाफ है कि जिन को आज अदालत में पेश होना चाहिये उन को अदालत में पेश न किया जाए। उन के जेल में रहने की अवधि समाप्त हो गई है और अब हम उन को जेल में कैसे रखेंगे। सरकार ने कहा कि नहीं, उन को जेल में ही रखो, कोई जरूरत नहीं उन को बाहर निकालने की तो इस प्रकार के उदाहरण आज बिहार में देखने को मिल रहे हैं। अभी कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण दिया गया। लोक सभा के ईश्वर चौधरी वहाँ गिरफ्तार हैं और जेल के अदर किस श्रेणी में है और किस तरह से रह रहे हैं यह कहना आवश्यक नहीं। आज जिस प्रकार से सरकार विरोधियों के साथ व्यवहार कर रही है वह सब को विदित है। उन को जेल में पिटवाया गया, दूसरे कैदियों को उभार कर, जो दूसरे असामाजिक तत्व थे और विभिन्न प्रकार के आरोपों में कैद थे उन के माध्यम से उन राजनीतिक कैदियों को पिटवाया गया। इस प्रकार की स्थिति बिहार में आज है। वहाँ एक और नयी स्थिति पैदा हो रही है। जब कांग्रेस सत्याग्रह करती थी 1947 के पहले, तो उस समय चौधरी साहब भी जेल में गये होंगे, उन को याद होंगी उनको। उस समय अंग्रेजों का एक दृष्टिकोण था सत्याग्रह के प्रति। वह कहते थे कि यह पीसफुल पिकेटिंग जैसी कोई चीज नहीं है। महात्मा गांधी ने पीसफुल पिकेटिंग का नारा दिया था, लेकिन अंग्रेज कहते थे कि जैसे पीसफुल वार नहीं हो सकती उसी तरह से यह पीसफुल पिकेटिंग नहीं हो सकती। आज वही उदाहरण बिहार में वहाँ की कांग्रेस सरकार दे रही है। वहाँ आंदोलन चल रहा है जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। वह शांतिमय आंदोलन है और कोई नहीं कह सकता कि उसके चलते वहाँ हिंसा हो रही है। सारा आंदोलन शांतिमय ढंग से चल रहा है, लेकिन सरकार का जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण अदालतों में भी आ रहा है। माननीय न्याय मंत्री जी स्वयं कांग्रेस के सदस्य हैं और पुराने आंदोलनों में भाग ले चुके हैं। आज बिहार के कोर्ट्स उसी प्रकार के फैसले करती हैं और फैसले के अदर जिन्होंने 144 को तोड़ा है, जिन्होंने बिहार विधान सभा के सामने सत्याग्रह किया है, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया और उनको सजा दी गई। उन पर जो मुकदमा चला और जो सजा हुई उसमें 1942, 1930 के पहले के जो कानून तोड़ने के मुकदमे अंग्रेजों के समय में चलते थे उनको कोट किया जाता है। आज देश में हम आजाद हो गए। क्या हमारा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है? क्या इस सरकार का दृष्टिकोण अंग्रेजों का दृष्टिकोण हो गया है? आज तो कमिटेड जुडिशियरी है, अंग्रेजों के जमाने में जिस प्रकार का दृष्टिकोण अदालत लेती थी उसी प्रकार का दृष्टिकोण आज अदालत ले रही है, सरकार ले रही है। इस प्रकार की व्यवस्था अगर देश में रही तो लगता है कि आज का शासन अंग्रेजों के जमाने से भी

बदतर हो गया। जिस प्रकार से बिहार में विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमे चलाये जा रहे हैं और उनके प्रति जो दृष्टिकोण अदालत ले रही हैं इससे आप लोगों का विश्वास नहीं बदल सकते।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह सदन में आकड़े प्रस्तुत करे कि मीसा में कितने लोग गिरफ्तार हैं और विभिन्न पार्टियों के बारे में जैसे आपने कहा कि कितने लोगों पर मुकदमे चलाये गए, आपने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग गिरफ्तार किये गये, तो ये आंकड़े सदन के सामने आने चाहियें। जिन लोगों को आपने बंगाल और राजस्थान में गिरफ्तार किया वह आंकड़े सदन और देश के सामने आने चाहियें। स्पष्ट रूप से जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक देश को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि आपने उनको किस आधार पर पकड़ा है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के लोग एन्टी नेशनल ऐक्टिविटीज में ज्यादा पकड़े गये हैं, लेकिन सरकार जान-बूझकर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाती।

इसलिये जैसा मैंने कहा कि मैं इस भावना से सहमत हूँ जो कि इस बिल में है, लेकिन इस विधेयक से इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जायेगी। आज तो होना यह चाहिये था कि सदन के जितने सदस्य हैं उनके ऊपर जब कि सदन चल रही हो, बिना मुकदमा चलाये उनको नहीं पकड़ा जाता। सरकार स्पष्टीकरण दे कि जब सदन चल रही है तो बिहार के जितने सदन सदस्य आपने गिरफ्तार कर रखे हैं उनको सदन में भाग लेने से आप क्यों रोकते हैं? आपने उनको केवल इसलिए गिरफ्तार कर रखा है कि वह बिहार की मही स्थिति को सदन के सामने प्रस्तुत न कर सके। इसलिए मेरी यह शिकायत है कि आप उनके खिलाफ मुकदमा चलायें या उनको छोड़ दें। यही मैं मांग सरकार के सामने रखना चाहता हूँ।

श्री रणवीर सिंह : उप-सभापति जी, जो विधेयक आज सदन के सामने है, वह काफी गम्भीर है और खास तौर पर जिन्होंने नजरबन्दी देखी है उनको नजरबन्दी की यातनाओं का भी पता है, तो उनके लिये यह और भी गम्भीर है। लेकिन जहाँ एक समय था जब विदेशी सरकार के खिलाफ हिन्दुस्तान की जनता लड़ा करती थी अपनी आजादी के लिए, उस आजादी के लिये लड़ना एक धर्म था हर भारतीय का और जो उसको पूरा कर लेता था वह अपने राजनीतिक धर्म को पूरा करता था। लेकिन आज पिछले 27 साल से जब हमारा देश आजाद हुआ है देश को बनाने के बजाय कुछ तत्व हैं जो उसको बनाने में बाधा डालते हैं और यह बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे देश की। वैसे तो हमारे देश के विधान के मुताबिक जहाँ एक मेजरिटी पार्टी हो और जिसकी हुकूमत हो उसके साथ साथ एक माइनरिटी पार्टी, एक अपोजिशन, विरोधी दल का नेता भी बने और उसकी सहूलियत भी हमारे कानून में रखी। लेकिन चूँकि हमारे देश के जो

भाई हैं चाहे वह अनपढ़ हैं, लेकिन वह समझदार हैं और इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि इस देश के अन्दर चाहे वह लोक सभा थी चाहे राज्य सभा आज तक जो कानून के मुताबिक विरोधी दल और उसका नेता बनना चाहिये वह बन नहीं सका। सिवाय एक समय के जब कि कांग्रेस के सदस्य कुछ हममें टूट कर उधर बैठे थे उस वक़्त चाहे महावीर त्यागी हो या डा० राम मुभग सिंह हो वे विरोधी दल के नेता बन सके।

[The Vice-Chairman (Shri Jagdish Prasad Mathur) in the Chair]

लेकिन उसके अलावा 27 साल के इतिहास में विरोधी दल का नेता कोई नहीं बन सका। आज विरोधी दल के भाई जो काम करते हैं वह इस तरीके से काम नहीं करते कि देश अच्छे ढंग में आगे बढ़े। वे कोई देश की तरक्की के लिए अपनी राय दें, अपने मुझाव दें; ऐसी बात उनमें नहीं है।

इसी साल की अगर आप हालत देखें तो आपको मानूस हो जाएगा। इसी पार्लियामेंट में इसी साल जब राष्ट्रपति अपना प्रवचन एड्रेस देने आ रहे थे तो पार्लियामेंट के चुने हुए सदस्यों और देश के चुने हुए नेताओं ने वह रास्ता रोक दिया। कितने अफसोस की बात है। चाहिये उनको यह था कि अगर सरकार कोई गलत रास्ते पर चल रही है तो उसको सही रास्ते पर लाते, उसकी खराबियाँ बताते परन्तु यह सब न करके उन्होंने राष्ट्रपति महोदय का रास्ता रोक दिया। यह ड्रामा उनका राष्ट्रपति तक ही सीमित न रहा बल्कि सारे प्रदेशों के अंदर गवर्नरों को रोकने की कोशिश की गई। यही नहीं एड्रेस की कापियाँ गवर्नरों की तरफ फेंकी गई। यह हमारे देश की बदकिस्मती है। अभी राजनारायण जी कह रहे थे कि किसी को नजरबन्द करना अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि किसी भी सदस्य को, या विधान सभा अथवा विधानमण्डल के किसी भी मੈम्बर को या कोई भी जो भारत का वासी है उसको नजरबन्द करना अच्छी बात नहीं है। अगर देश की तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उनको नजरबन्द किया जाए। अगर देश की तरक्की में बाधा डालने वाले, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को सरकार नजरबन्द करने में शिश्कती है तो मैं मानता हूँ कि वह सरकार रहने लायक नहीं है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या दूसरी पार्टी की सरकार हो उसका प्रथम काम यह है कि वह देश के अंदर प्रजातन्त्र को कायम रख सके, देश की तरक्की को आगे बढ़ा सके। और अगर हम उस काम के करने में पीछे हटते हैं तो मैं मानता हूँ कि कोई भी सरकार हाँ चाहे वह संयुक्त दल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो अपने धर्म को पूरा नहीं करती है, अपने राजनीतिक धर्म को पूरा नहीं करती है तो उसको हटाना चाहिये।

जैसा अभी कुछ लोगों ने कहा है कि किसी सदस्य को नजरबन्द नहीं करना चाहिये लेकिन हमने क्या देखा कि 3-4 दिन पहले इस सदन के तीन सदस्य सदन के अंदर लेट

[श्री रणवीर सिंह]

गये। क्या चौधरी चरण सिंह ने राजनारायण जी को इसलिए यहाँ चुनकर भिजवाया कि वह सदन के अंदर लेंगे। राजनारायण जी को जितने अवसर मिलते हैं उतने अवसर हमको नहीं मिलते कि हम अपनी बात कह सकें। विरोधी दल के सदस्यों को, चाहे वह राजनारायण जी हों या दूसरे दल के हों उनको अपनी बात कहने का ज्यादा समय मिलता है। सारा हिसाब लगाया जाये, इस बिल के ऊपर या और दूसरी चर्चाओं पर तो यह मालूम हो जायेगा कि विरोधी दल के सदस्यों को ज्यादा मौका मिला है। हिन्दुस्तान के रेडियो के द्वारा जो संसद के बारे में भी प्रचार किया जाता है अगर उसका भी हिसाब लगाया जाये तो जो देश को बनाने की बात करते हैं और देश की सुरक्षा में बाधा डालने वालों को रोकते हैं उन के बजाय विरोधी दल को ज्यादा मौका मिला है।

उनके नाम का जिक्र भी नहीं आता, लेकिन गिला किस को है? गिला है विरोधी दल के सदस्यों को। गिला उन सदस्यों को है जो आए दिन यहाँ पर लेट जाते हैं, जो राष्ट्रपति के रास्ते को रोकते हैं और जो सदन की कार्यवाही को रोकते हैं। अगर इस देश के अन्दर इस तरह से काम चलता है तो मैं यह मानता हूँ कि इस देश के अन्दर प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकता है।

डा० मैथ्यू कूरियन ने आंकड़े पेश किये हैं। मैं उनके आंकड़े दोहराना चाहता हूँ और यह मानता हूँ कि इसका लिए विरोधी दल के लोग ही जिम्मेदार हैं। इस देश के अन्दर सन् 1950-51 में जहाँ पुलिस के ऊपर मिर्फ तीन करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते थे, आज उनकी कृपा से ही यह खर्च की राशि बहुत बढ़ गई है। हमारे विरोधी दल के भाईयो को इस देश के निर्माण में जब कि जो पार्टी इन पावर है, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वे इसके बजाय देश के अन्दर गड़बड़ करते हैं, हर संस्थान में गड़बड़ करते हैं और सारे देश के अन्दर गड़बड़ पैदा करते हैं। इसीलिए देश का पैसा जो देश की तरक्की में लगना चाहिये, लेकिन आज हमारी सरकार इस बात के लिए मजबूर है कि वह पैसा लगभग 169 करोड़ 39 लाख रुपया पुलिस के ऊपर खर्च करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी डा० मैथ्यू कूरियन, सी० पी०एम० और सी०पी०आई० तथा जनसंघ आदि दूसरी विरोधी पार्टियों के ऊपर है, जो इस देश के अन्दर शांति और अमन को कायम नहीं रखना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, हिन्दुस्तान के अन्दर जहाँ एक तरफ बम्बई और महाराष्ट्र के अन्दर लोग भूख से तड़फ रहे थे और पंजाब और हरियाणा के अन्दर काफी अनाज था और किसान और सरकार चाहती थी कि अनाज उन लोगों तक पहुँचाया जाये, लेकिन विरोधी दल के नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी के थे, सब ने मिलकर रेल कर्मचारियों से कहा कि काम रोक दो, रेल का पहिया मत चलाओ और रेल का पहिया

जाम कर दो ताकि इस देश की आर्थिक स्थिति और भी पाताल में चली जाये। मैं यह मानता हूँ कि हिन्दुस्तान के ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के लोग बहुत समझदार हैं। आज तक उन्होंने विरोधी नेता नहीं बनने दिया। किसी भी पार्टी को इतना यश नहीं मिला कि वह पार्लियामेंट में 10 फीसदी भी मेम्बर भेज सके ताकि लोक सभा और राज्य सभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता बन सके। (Time bell rings) उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिर हमारी मेजोरिटी है, हमें वक्त हमारी मेजोरिटी के मुताबिक तो दीजिये। श्री राजनारायण जब चाहे खड़े हो जाते हैं। उनको पता हो नहीं चलता कि उन्होंने कितना समय ले लिया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जितना हमारे देश को पुलिस के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है उसका एक कारण यह है कि विरोधी दल के लोग बजाय इसके कि देश को आगे बढ़ाने में हमारा हाथ बटाते, वे देश को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं और उसी तरफ कोशिश करते हैं। श्री राजनारायण जी, आप एक बात याद रखें कि आप जो बातें कहते हैं या जो कहानियाँ यहाँ पर सुनाते हैं, ये कहानियाँ आपने आज ही सुनानी शुरू नहीं की हैं, पहले भी आप कहानियाँ सुनाते रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। श्री फखरुद्दीन अली अहमद अपने जीवन में हमारे देश की आजादी के लिये लड़े हैं और कितने ही वर्ष तक इस देश के मंत्री रहे हैं। श्री राजनारायण जी से मैं कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाना एक साजिश है और यह बात देश की इज्जत के खिलाफ है।

श्री राजनारायण : मैं जानना चाहता हूँ क्या इस सदन में कोई सम्मानित सदस्य जानबूझ कर अमत्य बोल सकते हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : अपनी जानकारी से जो सही है वह बोल रहे हैं।

श्री राजनारायण : देखिये, संसदीय नियम है—मैं आपको प्रमाण देता हूँ। यह जो श्री फखरुद्दीन अली अहमद के खिलाफ रिट दाखिल है करप्शन का, यह अप्रैल का है। अप्रैल में कहीं इसकी चर्चा नहीं की कि वे राष्ट्रपति होंगे—उस समय स्वर्ण सिंह का नाम आता था, जगजीवन राम का नाम आता था।

श्री रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि व्यवस्था का नाम लेकर हिन्दुस्तान के होने वाले राष्ट्रपति के खिलाफ इस सदन के फोरम को इस्तेमाल करे। अगर वे इस तरह से बोलेगे तो मैं अपने समय से आधा मिनट भी उनके पास नहीं जाने दूँगा चाहे कितने जोर से उठें। मैं उनको इतना बता देना चाहता हूँ उनकी आवाज इस सदन में ऊपर नहीं उठने दूँगा।

श्री राजनारायण : अगर तैयब हुसैन के बारे में कहा जाए।

श्री रणवीर सिंह : मैं इस बात को कहने के लिए मजबूर हुआ कि राजनारायण जिनको चौधरी चरण सिंह ने सम्मानित सदस्य समझ कर यहां भेजा तो इसलिये नहीं भेजा कि यहां सदन के अंदर लेटेंगे और उनके दूसरे साथी जो आये वे यहां लेटेंगे। इसलिए भी नजरबंद का कानून दुख के साथ आपके खिलाफ लाना पड़ता है क्योंकि आप इस देश के अंदर इस ढंग से नहीं चलना चाहते जिसमें देश में शांति हो। आप बिहार के अंदर आग लगा देना चाहते हैं। बात करते हैं बड़ी अच्छी अच्छी, ऐसा मालूम होता है कि जो कानून का इस्तेमाल करते हैं वह गलत है। लेकिन अगर ऐसा आचरण होता तो बताये कि आपने किाने दरवाजे खटखटये हैं, कहां कामयाबी हुई है ?

श्री राजनारायण : हर जगह कामयाब हुए हैं।

श्री रणवीर सिंह : आपका गिला है कि बीम-इक्कीस बार आपको गिरफ्तार किया गया...

श्री राजनारायण : 49 बार। मजिस्ट्रेट तो सजा किए हैं मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से छूट गये हैं।

श्री रणवीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा राजनारायण जी से कहना है, इस हिन्दुस्तान के अन्दर करोड़ों इन्सान हैं, इस हिन्दुस्तान के अन्दर उनकी पार्टी के लाखों भाई हैं, लेकिन किसी को 49 बार गिरफ्तार नहीं करना पड़ा, उनको ही क्यों गिरफ्तार करना पड़ा ? उनके साथ किसी का बैर था ? या आप कह सकते हैं आप चुनाव लड़े...

श्री राजनारायण : चुनाव में कर्णेशन के विरुद्ध इन्दिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में मैं ही लड़ा हूँ।

श्री रणवीर सिंह : आप चौधरी चरण सिंह के कंधे पर बैठ कर, लाठी का सहारा लेकर, इस सदन में दाखिल हुए। चौधरी चरणसिंह कहते हैं स्कूली बच्चों को कभी राजनीति में दाखिल नहीं होना चाहिये, वे सरकारी मुलाजिमों को राजनीति से परे रखना चाहते हैं। लेकिन इनको अब आशा ही पढ़ने वाले बच्चों और सरकारी मुलाजिमों पर रह गई है क्योंकि अपना होसला टूट गया है। ता ऐसे दोस्तों को काबू में रखने के लिए नजरबंदी कानून को रखना होगा चाहे दिल में कितना ही दुख हो। जिनके हाथ में राज की शक्ति है उनको यदि इस देश में प्रजातंत्र कायम रखना है और प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए अगर राजनारायण जी को 49 बार नहीं डेढ़ सौ बार भी गिरफ्तार करना होगा, रोजाना भी गिरफ्तार करना होगा, अगर यह देश के हित में एक राजनैतिक धर्म हो, तो करना पड़ेगा, राजनारायण जी को सही रास्ते पर लाना होगा। यह अच्छी बात नहीं कि लोगो को नजरबंद किया जाये या जो नजरबंद रहे हैं उनको यातनाये हो लेकिन कोई राजनैतिक धर्म भी होता है। इस देश की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उस पर लोगों का विश्वास है। महागाई किमने बढ़ायी ? राजनारायण जी पार्टी ने महागाई कराई, सी०पी०आई० (एम) वालों ने

कराई, पंजाब और हरियाणा का गेहूं बम्बई तक नहीं जाने दिया, गुजरात तक नहीं जाने दिया, कलकत्ता तक नहीं जाने दिया। जो लोहे को, कोयले को खानों से और कारखानों से देश के अंदर नहीं पहुंचाने देना चाहते, उनके ऊपर महागाई की जिम्मेदारी है, सरकार के ऊपर नहीं है। सरकार अपनी को-शिर्षों में कामयाब होना चाहती है मगर राजनारायण या भूपेश गुप्त या दूसरे भाई जो देश की तरक्की को रास्ते में रोड़ा बना चाहते हैं उनके लिए नजरबंदी का कानून कायम रहना होगा। 4 P.M.

DR. K. MATHEW KURIAN : You are creating a Fascist State.

श्री रणवीर सिंह : डा० मैथ्यू कूरियन से कहना चाहता हूँ कि देश की जनता ने तीन के साथ लड़ाई में आपको और आपकी पार्टी को अच्छी तरह से देख लिया है।

DR. K. MATHEW KURIAN : You are Prime Minister's Gestapo.

श्री रणवीर सिंह : देश तो आपके इरादों का पता है और वह कभी भी आपके इरादों को कामयाब नहीं होने देगी। इस चीज के लिए कानून का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो किया जायेगा। इस दृष्टि के अन्दर जब हम दो हजार करोड़ सत्या डिफैन्स में खर्च कर रहे हैं हर साल तो...

DR. K. MATHEW KURIAN : You are Prime Minister's Gestapo. You will be under arrest tomorrow.

श्री रणवीर सिंह : हमें देश की रक्षा करनी है और हमारी कांग्रेस पार्टी इस काम में जुगेगी नहीं। वह इस बात का कभी भी ध्यान नहीं करेगी कि देश की रक्षा में जो लोग रोड़ा अटकते हैं, चाहे वे कोई हमारा भाई ही क्यों न हों, चाहे कोई रिपब्लिकन ही क्यों न हों, चाहे ससंद सदस्य क्यों न हों, डा० मदन या उस सद० का न सत्य क्यों न हो, असेम्बली का सचिव क्यों न हो, अगर वह देश की रक्षा के काम में रुकावट डालता है, तो उसको जेल के अन्दर भेजना होगा।

यह सरकार की इज्जत का सवाल है, यह सरकार का फर्ज है कि वह इस देश के निजाम का कायम रखे। सरकार का यह फर्ज है कि भूब्रे लोगों का आजाज पहुंचाये, जहां कोयले की जरूरत है, वहां कोयला पहुंचाये, जहां लोहे की जरूरत है वहां लाहा पहुंचाये। लेकिन आप लोगों की यह कोशिश है कि लोहे के कारखानों से लोहा बाहर न जाये और पंजाब और हरियाणा से अनाज बाहर दूसरे प्रांतों का न जाये। इस तरह की जो आपकी कोशिश है, उसका कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जायेगा और उसके लिये भीजा या कोई भी कानून की जरूरत होगी, बड़ लागू करना होगा।

(Interruption)

श्री कावेरेश्वर सिंह : श्री राजनारायण जी बयान देना हैं। उन्हें छोटी मोटी बात कहना शोभा नहीं देता है। उनको अपनी मर्यादा समझना चाहिये और उनका पालन करना चाहिये।

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I oppose this Bill. I do not know, Sir, in what seriousness this Bill has been brought by an experienced parliamentarian, like the hon'ble Shri Bhupesh Gupta, who has moved this Bill. I take it, Sir, that it must have been done with some seriousness because the Bill must have been introduced long back. There was a period of one or two years for its deliberation and the Bill has come up subsequently for discussion. On account of some reason or on account of the fact that he has left in a hurry, the hon'ble Mover of the Bill has not been able to keep pace with the proceedings in this hon'ble House because he has not been here throughout these proceedings this day.

Sir, this Bill has got two faces and on account of the reasons arising out of these two faces separately as well as jointly I am constrained, Sir, to oppose this Bill in its entirety. Looked at from one aspect, this Bill propounds privileges for Members of Parliament and Members of State Legislatures.

And personally, Sir, I am against any privilege whatsoever so far as the Members of Parliament or Members of Legislatures are concerned. In principle, I am not able to support the privileges that are enshrined in the provisions of the Constitution, privileges which are available to the Members of the British House of Commons as they are stated in the provisions of the Constitution itself. It is stated that these privileges are intended for the better functioning of Members of Parliament and Members of Legislatures but in a developing country like ours, I have a feeling that these privileges have been misused to a very large extent on the floors of Parliament and Legislatures. Sir, it does not go well with the people of this country who are economically backward, politically backward and socially backward that a separate caste of citizens is produced in Members of Parliament and Members of Legislatures. It would have been good if the social, political and economic conditions of the people of this country had been at such a high level that they would not mind some extra concessions being delivered to persons who are engaged in public work, who are charged with the performance of the public functions and duties. But that is not the condition that exists in this country and, therefore, we should not in any way widen the gulf between the people and separate sections

of the people even if these sections are Members of Parliament and Members of Legislatures. Therefore, Sir, any extra privileges or concessions in favour of Members of Parliament or Members of Legislatures would not go well with the people of this country and will not be consumed or digested by the people of this country. The people of this country would only be unhappy that certain privileged classes of citizens above the law—as it is called or as it may be called—are coming up. Certainly, this feeling should not be psychologically or mentally in any Member of Parliament or in any Member of Legislature. When they travel, when they go about discharging their public functions and duties, when they go to hospitals, when they go by buses or trains or aeroplanes, the fact must not weigh with them that they are Members of Parliament and, therefore, they are entitled to certain concessions or precedence over the vast run of common people of this country who stand in queue. The Members of Parliament and the Members of Legislatures must stand in the same queue in this country so far as rights other than the rights they exercise on the floors of Parliament or Legislatures are concerned. If they stand in queue, as they must, I should think certainly, Sir, in respect of a law like preventive detention it cannot be stated that Members of Parliament or Members of Legislatures should not be subjected to or should be excluded from the provisions of various laws relating to preventive detention.

Sir, there is another aspect that arises out of this legislation. What does this legislation confirm? If one says that a certain section or class of citizens of this country should be excluded altogether from the Preventive Detention laws, the clear result, the inevitable inference is that the person who says that, gives a certificate of fitness, a certificate of correctness to the Preventive Detention laws themselves. What is Mr. Bhupesh Gupta doing? Does he know that he has been opposing the Preventive Detention laws on the floor of this House and he has been opposing MISA? But by moving a Bill of this nature, he is now giving a certificate to the Government that the rest of the portions of the Preventive Detention laws should be implemented so far as the remaining sections of the citizens of this country are concerned but please do not implement it against the Members of Parliament and Members of Legislatures. That, Sir, is a funny and ridiculous situation and it is this

situation that directly arises if a Bill of this nature is passed into law.

Sir, the Preventive Detention is a thing which has got to be opposed, not opposed in part but opposed in totality. In this country, various Preventive Detention laws have been enacted by Parliament and by the various State Legislatures and if one looks at the history of this country after independence, one would be ashamed, if I may say so, on the large-scale use of Preventive Detention laws that have been made by the Central and State Governments in this country, and the large-scale use of violence in that form perpetrated against the citizens of this country. The honourable Mr. Rajnarain stated, Sir, that firing was resorted to by Mr. Pattam Thanu Pillai when he was Chief Minister of Travancore-Cochin and that he had resorted to Preventive Detention. Some other hon. Member asked whether Mr. Karpoori Thakur when he was Chief Minister of Bihar, particularly in 1967-68 had not resorted to firing, had not resorted to Preventive Detention. Sir, the question is not whether one has used it or not. I have no doubt that if a particular law is in the Statute Book and that law is convenient to be used at a particular point of time, whatever your principle, whatever your theory, if you are in the saddle at the moment, you would use it.

Sir, let us take Preventive Detention itself. Who are the opponents of Preventive Detention on the floor of this House? Everybody opposes but more than anybody else, the left parties oppose it; the Communist party of India, the Communist Party (Marxist) the Socialist parties, all these parties oppose but may I ask the question to myself and to others in office as to whether everyone of these parties has not used Preventive Detention in one form or the other at one stage or the other when they were in office? Sir, there was twice over a left Government in Bengal.

In both of them with which Mr. Bhupesh Gupta was associated and other leftist parties were associated, they had resorted to preventive detention; they had resorted to police firing.

Sir, in Kerala in 1967-69 there was a coalition of left parties and other parties (*Time Bell*) including the Marxist Communist Party, the CPI and my own party. There was a strike by engineers and the entire State was paralysed on account of the engineers' strike. Sir, I was a member of the Liaison Committee at

that time. Looking back I remember as to how the Liaison Committee consisting of the then Chief Minister, a Marxist leader, two well-known CPI leaders who are in office in the present ministry also—all of us—sat together and took the decision that the engineers be detained under the PD Act. They were detained. Sir, certainly I am ashamed that preventive detention was used by the Government. Everybody would have been ashamed. But the question is not, whether you were ashamed earlier or afterwards the fact is that you did do it. Sir, looking back, today I can say with an amount of personal pride and with an amount of humility and politeness that the only Government in this country after independence which did not use preventive detention and which did not make the police fire was the Government of Kerala, a coalition ministry that was led by a Socialist group in 1960-63. That was led by no other a person than the late honourable Mr. Pattom Thanu Pillai to whom Mr. Rajnarain referred. That was an act of deliberation on our part. We were in office then—the Socialists and one or two other parties together. In 1960-63 we had taken a decision in Kerala that we would not use the PD Act, come what may. We had asked the police not to fire at the citizens, and it is that great deliberation which was implemented with great will and determination. The Socialist-led Pattam Thanu Pillai ministry in Kerala from 1960-63, of which I had the privilege of being a member, did not use the PD Act and did not make the police fire.

But, Sir, the question is not really about the exercise of the power but the power itself. The power is bad and the power should not be on the Statute Book for anybody to exercise. The implementation of the MISA in the various States would show, Sir, that it has been used for various purposes other than purposes connected with internal security.

Sir, the CPI and Mr. Bhupesh Gupta are very much against the P. D. Act.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD (Kerala): May I make a correction? In that coalition ministry the Congress also was a partner and the Home Minister was a Congress Minister. To claim entire credit for the PSP is really distorting the facts.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : I never said PSP. I never claimed it for myself. I was very careful in choosing my words and I have always been careful in choosing my

[Shri K. Chandrasekharan]

words whether it is in the forum of Parliament, whether it is in court or whether it is in a public meeting. I have said, Sir, that it was a Socialist-led coalition ministry.

DR. V.A. SEYID MUHAMMAD :
Half truths are misleading.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN :
Therefore, it is absolutely meaningless to suggest that I did not mean what I said or that the hon. Member did not understand what I said. I have great pride in saying that the then Minister of Home Affairs was none else than Mr. Chacko who was a Congressman and who is no more here, and it was the will and the decision of the Cabinet as a whole, and my hon. friend knows how a Cabinet functions. (Interruptions) It is silly on the part of the hon. Member to have said it against a speech in which I tried to be as clear and as objective as I could be.

I am concluding by suggesting that the implementation of MISA and the implementation of the Preventive Detention Act in the various States, particularly on the eve of the railway strike, has shown that these laws are being misused, being capitalised, for purposes other than those which Parliament or the Legislatures have meant. For example, in Kerala a CPI Ministry is in office. The hon. Member Mr. Bhupesh Gupta's group is the group which leads the Ministry and on the eve of the railway strike, they used MISA, they used the preventive detention laws. We find that in various States, including Kerala, these acts have been used not only against non-members of Legislatures and Parliament but used against Members. It was used in Bihar against none other than the CPI leader, Mr. Ramavatar Shastri, M.P. Therefore, I oppose this Bill. I oppose this Bill because I do not want the Preventive Detention Act to be on the Statute Book at all, but this Bill gives a licence for the preventive detention law to be on the Statute Book.

Thank you.

श्री खुरशीद आलम खान (दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय अगर इस बिल में जो बातें कही गई हैं उस पर सोचने के लिये हम तैयार हो जायें तो शायद सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि जमहूरियत के तरीके या जमहूरियत की तारीख को बदलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज जिस तरह के हमारे सामने मुजहारे होते हैं, जिस तरह से काम किया जाता है उससे जमहूरियत को बहुत ही बिगड़ी हुई सूरत में हमारे सामने लाया जाता है और जमहूरियत की एक एक ऐसी मिसाल हमारे सामने पेश की जाती है जिसे कोई भी सभ्य कौम,

सभ्य इन्सान, पढ़ा-लिखा इन्सान, शरीफ इन्सान न कबूल कर सकता है और न कबूल करने की इच्छा होनी चाहिये।

हम इस सदन में जमहूरियत का तमाशा देख रहे हैं। यह वहु सदन है जिसके अंदर बड़ी मुश्किल से और बरसों में हमारे नेताओं ने और हमसे पहले जो हमारे लोग मौजूद थे उन्होंने जिस तरह के ट्रेंडिजन्स, जिस तरह के रवायात तशकील किए थे आज उन तमाम रवायात, तमाम ट्रेंडिजन्स की धजियां हम उड़ा देना चाहते हैं। हम उनको बरबाद कर देना चाहते हैं, हम उसको एक पंचायती राज की जगह बना देना चाहते हैं। यह किसी भी तरह से बर्दाश्त करने का बिल बात नहीं है—ना बर्दाश्त की जा सकती है ना बर्दाश्त की जानी चाहिये।

हम कहां जा रहे हैं ? इसकी छोटी सी एक मिसाल यह है कि हमारे ये मोअज्जिज मेम्बर इलकशन के वक्त जाकर अपने नामिनेशन का पेपर जब दाखिल करते हैं तो अपने जमहूरी कानून से, अपने जमहूरी दस्तूर से, अपने जमहूरी कांस्टीट्यूशन के वफादारी की कसम खाते हैं, अपने मुल्क की वफादारी की कसम खाते हैं। जब हम यहां प्राते हैं हम अपने यहां मेम्बर बनने से पहले अपनी वफादारी की कसम खाते हैं, जमहूरियत की वफादारी की कसम खाते हैं और कांस्टीट्यूशन की वफादारी की कसम खाते हैं लेकिन क्या हम असल करते हैं ? जब हम यहां से निकलते हैं या इस ऐवान या सदन के अंदर खड़े होते हैं तो हम अपनी कसम का भी पालन नहीं करते हैं। यह कहां तक सच है, यह कहां तक सही है, यह कहां तक इन्सानियत है, यह कहा तक शराफत है ? हम उस वक्त इन्सानियत के तमाम अमूल भूल जाते हैं। हम अपनी कसमें भूल जाते हैं।

आज हमारे मुल्क में एक अजीब तोड़-फोड़ की लहर, एक अजीब स्ट्राइक की लहर और एक अजीब कौमी मिलिकयत को नुकसान पहुंचाने की लहर चल रही है। जब यह हालत हो, जब ऐसी स्थिति हो, तो कौन सा ऐसा मुल्क होगा, कौन सी ऐसी हुकूमत होगी, कौन सा ऐसा समाज होगा जो इन चीजों को बर्दाश्त करेगा, अपनी कौमी मिलिकयत को बर्बाद होने देगा, अपनी कौमी चीजों को बर्बाद होने देगा, अपनी कौमी रेलों को तोड़ने देगा, अपनी कौमी फैक्ट्रियों को बर्बाद होने देगा, कौमी सरमाये को बर्बाद होने देगा ? हम मुल्क में कहते हैं कि हम जमहूरी हुकूमत हैं लेकिन वैसा काम नहीं करते।

आज अगर मुल्क में या किसी शहर में बच्चों के दूध की कमी हो जाती है तो इस ऐवान, इस सदन के अंदर तूफान उठा देते हैं, जब मौका पड़ता है तो रेलों भी रोक देते हैं। जब मुल्क के अंदर कहत पड़ी हो, लोगों को खाने के लिए गल्ला न हो, लोगों के लिए पीने को पानी न हो, ये चीजें वे भूल जाते हैं। वे चाहते हैं लोगों को पानी न पहुंच सके गल्ला न पहुंच सके, लोगों को तकलीफ हो, लोग परेशान हो।

जनता किसी मुसीबत से बेजार हो इससे कोई वास्ता नहीं है। वे तो यह चाहते हैं हुल्लड़बाजी हो, बलवा हो और वे ऐसी सूरत पैदा कर दें जिससे हंगामा हो, सही तरीके का इंतजाम, निजाम, सही तरीके की व्यवस्था रखने में दुश्चारी पैदा हो। जाहिर है कि कोई हुकूमत, कोई समाज, इस किसम की चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए कि हुकूमत जो बैठी है हुकूमत जो अमल करती है, हुकूमत जो काम करती है वह जनता के फायदे के लिए करती है जनता की भलाई के लिए करती है और ये जनता के ठेकेदार जो स्ट्राइक कराते हैं, जो रेलें बंद कराते हैं, जो फैक्ट्रियां बंद कराते हैं, वे यकीनन जनता की, देश की भलाई के लिए नहीं कराते, महज अपनी दुकानदारी चलाने के लिये कराते हैं। उनकी इस कांवाइ से जनता का कोई फायदा नहीं, जनता का कोई फायदा नहीं। उन्हें जनता से कोई दिलचस्पी नहीं बल्कि उन्हें तो सिर्फ दिलचस्पी यह है कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि हुकूमत की कुर्सी पर वे पहुंच सकें चाहे उगमें उसूलों की धुनवी देनी हो चाहे उसमें किसी आदर्श का त्याग करना हो लेकिन सिर्फ मकसद यह है कि हम हुकूमत हासिल करें। मेरे भाई राजनारायण कुछ दिन पहले कहा करते थे कि चरण सिंह के एक ही उसूल है, उनकी एक ही तमन्ना है कि हुकूमत की कुर्सी हासिल करे। आज वे ही चरण सिंह की पालिसी के हिमायतियों में सबसे आगे हैं और वह आज बड़े शोर व गुल के साथ चरण सिंह की पालिसी के जरिये मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं इस तरह की इजाजत कभी भी नहीं दी जा सकती।

आज हर छोटे-बड़े मामले में यह दिक्कत हो गई है कि हड़ताल की जाये और हड़ताल भी इस सूरत से की जाए कि जिससे हमारी कोमी मिलिक्यत, हमारे देश की जो पैदावार है, उसमें कमी हो। उसमें आज वैसे ही हमारे यहां कमी है, कुछ हालत ऐसी हुई कि कुदरत ने हमारे साथ ऐसा अमल किया कि बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से बिजली नहीं पैदा हुई, बिजली न होने की वजह से बहुत से कल कारखानों से पूरी पैदावार नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ थोड़ी बहुत पैदावार होनी चाहिये थी उसमें भी अड़चने डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि चाहे कुछ भी करें—मुल्क को तबाही की तरफ ले जाये, मुल्क को बरबादी की तरफ ले जायें—इसके बावजूद उनके लिए कोई कानून न हो, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी न हो, उनके ऊपर कोई कानून लागू न किया जा सके, और उनको एक तरह से लाइसेंस मिला है वे हर बुरी चीज, हर तबाही की चीज को अमल में ला सकते हैं, उसमें अमल करते हैं और चाहते हैं उनको रोकने के लिए कुछ भी न किया जाए।

यह बार बार कहा जाता है कि पुलिस का खर्च बहुत बढ़ गया। मैं भी मानता हूं लेकिन पुलिस का खर्च किसी ने खुशी से नहीं बढ़ाया मजबूरी हालात में बढ़ाया है। जब हुल्लड़बाजी में इजाफा हुआ है जब जनता की जिन्दगी

दुभर कर दी गई, जब लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जब उनकी जिंदगी में खतरा डालना चाहते हैं तो जाहिर है कौन मुसीबतजदा को बचायेगा? आज जरा सी कोई बात होती है, पथराव कर दिया जाता है सरकारी सम्पत्ति को आग लगा दी जाती है। तो यह कैसे हो सकता है कि आप आकर हमारे घरों में आग लगायें और फिर यह उम्मीद करें हम आग बुझाने का इंतजाम भी न करें? अगर आग बुझाने का इंतजाम किया जाता है, उसमें खर्चा होता है तो उसके लिए आप क्यों रोना रोते हैं? यह नहीं सोचते जिस दरख्त पर बैठे हैं उसी की शाख को काट देना चाहते हैं, उसी को तोड़ देना चाहते हैं। यह किस तरह से हो सकेगा इसकी कौन इजाजत दे सकेगा? यह सब क्यों हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा देश फासिस्ट टेंडेंसीज की तरफ जा रहा है। रजतपसंदी की तरफ जा रहा है, फिरकापरस्ती की तरफ जा रहा है और ये लोग वे हैं जिन्होंने कुछ थोड़ा सा बाहर से आई हुई किताबों को पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद वे चाहते हैं वह तजुर्बा हमारे इस मुल्क के भीतर किया जाए चाहे उस तजुर्बा करने से, चाहे उस अमल करने से मुल्क को कितना ही नुकसान हो, समाज को कितना ही नुकसान हो, कोम को कितना ही नुकसान हो। उनको सिर्फ पर्वाह इसकी है कि वे किसी तरह से सत्ता हासिल करे और किसी तरह से हुकूमत में कब्जा करके बैठ जाये। आज जनता ने उनको बार बार रिजेक्ट कर दिया है बार बार सत्ता अख्तियार करने से इन्कार कर दिया है लेकिन वे अपनी शिकस्त, अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका तो सिर्फ मकसद यह है कि चाहे कुछ भी हो जिस तरह से हो, वोह हुकूमत हासिल करे और हुकूमत की कुर्सी पर बैठ कर फिर सब कुछ वही करना चाहते हैं जो एक हुकूमत कर रही है लेकिन, जाहिर है, जो हमारे देश के लिए वफादार नहीं, हमारे मुल्क के वफादार नहीं, हमारे मुल्क के कानूनों के वफादार नहीं, वे हुकूमत में बैठ कर चाहे 56 करोड़ इंसानों की जिंदगी से खेलें—क्या इसकी इजाजत दे कि वे 56 करोड़ इंसानों की जिंदगी से खेलें और मुल्क की समाजी जिंदगी, मुल्क की कोमी जिंदगी, मुल्क की आर्थिक जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दें?

मुझे बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि चाहे कोई मामला हो, चाहे कोई भी मसला हो, लेकिन आजकल हमारे मुअज्जिज मेम्बर जो उस तरफ बैठते हैं, वे हमेशा राष्ट्रपति के चुनाव की बात को बीच में ले आते हैं। श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब हमारे देश के माने हुए सिपाही हैं, जाने बूझे हुए इंसान और एक शरीफ इंसान हैं और उनके बारे में हम तरह की लगी बातें कहना, उनके बारे में दो अखबारों की बेबुनियाद बातें कहना, यह किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। हमें इस सदन में या उस सदन में इस तरह की बातों को नहीं कहना चाहिये और दोनों सदन में देश की स्वायत्तों को बहुत ऊँचा रखना

[श्री खुरशीद आलम खान]

चाहिए जिससे कि हमारे देश का ट्रेडिशन अच्छा रहे। इस तरह से नीची बातों पर उतर आना, ओछे हथियारों का इस्तेमाल करना और बेबुनियाद बातों के ऊपर उतर आना और यह समझना कि हमने एक बड़ा फसका काम किया है इस तरह से कीचड़ उछालने के बाद हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, यह मुनासिब बात नहीं है।

उप सभाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि हर काम के लिए इंसान अपनी जिन्दगी को बड़ी समझ-बारी से इस्तेमाल करता है और वह उसकी अपनी बनाई हुई जिन्दगी होती है। इस तरह से वह अच्छा काम करके अपनी जिन्दगी को अच्छा बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। वह उस जिन्दगी को गढ़े में गिरा सकता है और आसमान और चाद पर तक पहुँचा सकता है। इसके बारे में मशहूर शायर इकबाल ने इस तरह से कहा है :—

“अमल से जिन्दगी बनती है, जन्मत भी जहन्नम भी
ये खाकी अपनी फितरत से, न नूरी है, न नारी है।”

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support Mr. Bhupesh Gupta's Bill and I do not think this Bill is opposed to the question of immunity of general citizens of India from detention without trial. I think the spirit of this Bill is this, that it starts with a protest against the MISA and the DIR. Mr. Bhupesh Gupta has spoken many times in this House on this subject and has pointed out that this sort of detention without trial is bad in the case of Naxalities or in the case of other political people, that this is autocratic exercise or misuse of power. Sir, I think personally that so long as the capitalist system is there, the problems of hunger and poverty will be there, and profit, blackmarketing and hoarding will be there. So long as these things are there, there will be crimes, social and economic crimes. And so long as this system goes on, any ruling party must have to resort to such laws which will cripple the people in many ways, whether it is MISA or DIR or any other law which can be exercised autocratically. We say that India is democratic and there is democracy in India. This democracy is held by the ruling party internationally and internally. But inside India what do we see? We see that inside the democracy in India, we have no right to have a job; but we have got every right to have property, profit, hoarding, etc. In the democracy in India we see that we have no right to have two meals daily. This is the basic thing which the Directive Principles of the Consti-

tution seek to provide. In part IV of the Constitution we have got the Directive Principles for social justice and all those things. Very good slogans are there. But so long as these problems are not solved, the internal democracy in India will be complicated, will not be a true democracy in the spirit of democracy by the people and for the people. So long as poverty is there, there will be some people and classes who would like to trade on poverty, profit on poverty. When the MISA was enacted, when the Defence of India Rules were passed, I think a promise was given that these laws would be exercised and applied very cautiously, not on any political grounds.

What do we see in India? Either in villages or town and metropolitan cities, this law is applied by the police authorities. In the villages, some parties bribe the police and according to the advice of that party, some people are arrested under MISA. This is the case in West Bengal. The Congress faction is there. They advise the police to catch some people under MISA or DIR. This way, MISA and DIR are being exercised not by somebody at the top, but by the police and the bureaucracy and even the judiciary. We go to the courts. It is very expensive. There is always a possibility that there will be breach of law and peace. Therefore, the Government says that MISA and DIR should be applied to maintain law and order. By this slogan, the Government has been empowered by MISA and DIR. The previous speaker said that the United Front Government in West Bengal and various other Governments also used MISA and DIR. Some exceptions can be there. But MISA and DIR are being applied to break down the very system of society by the ruling regime. This is the case here. What Mr. Bhupesh Gupta says is this. After all, democracy means elections and elected people are respected with dignity. We call this house 'August House'. The Assemblies are also called like that. This Act is misused. When we raise our voice of protest, we are arrested. These things are happening day in and day out. The question of privilege is being raised by the M. Ps. and M. L. As. When an M.P. is arrested, the information has to be sent to the Speaker. The police has to take precautions and decide whether they should arrest or not. The M.P.'s and M.L.As. are getting many privileges in their daily lives. These things are there in the system of our society.

(Time bell rings)

Sir, this Bill of Mr. Bhupesh Gupta is a very serious Bill. The Government should support this Bill and accept it so that the elected representatives who are respected by the people and the Government should be free from detention without trial.

They should be free from this sort of detention without trial. If we start with this then a situation will come when we all can fight against the misuse of MISA and this may lead ultimately to the repeal of this black Act. It can be repealed only by following two processes, namely, economical and political processes. So, I think this Bill has been brought forward for the acceptance by the Government and therefore I request the Government to accept this Bill and take steps to make legislators in the States and at the Centre immune from detention without trial. The Naxalities who are now in jails in West Bengal and other places are not given even the minimum necessities such as books, interviews and food. Such is the treatment meted out to the so-called Naxalities. What is happening is that these brilliant young men are now rotting in jails. Their future career has been lost. The Government is also losing sympathy of the people. The country will lose these brilliant young men who can otherwise make substantial contributions to our nation. Government should seriously consider these points resulting out of misuse of Preventive Detention and MISA and accept this Bill making legislators immune from detention without trial. With these words, I give my support to the Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F.H. MOHSIN): Sir, I have heard with attention the points made by various Members of this House regarding the Bill brought forth by Shri Bhupesh Gupta. Unfortunately the range of discussion has gone beyond the scope of the Bill. Many Members have touched upon points which are not very relevant to the Bill or which do not even concern the Bill. Shri Bhupesh Gupta's Bill says in its Objects and Reasons :

"In our country, Members of Parliament and of the State Legislatures do not enjoy immunity from arrest and imprisonment, not even from detention without trial. In order to uphold the dignity of Parliament and the Legislatures of the States as also in the public interest, it is necessary to pro-

vide for such members immunity from detention in custody without trial."

He only wants immunity for Members of Parliament and members of State legislatures from arrest and from detention in custody without trial. But unfortunately the range of discussion travelled much beyond the scope of this and sometimes MISA was under discussion rather than this Bill.

Sir, the use of the phrase "detention in custody without trial" seems to imply to specific types of privileges of Members of Parliament and State legislatures. One is that the provision of the Criminal Procedure Code under which a person can be kept in custody pending investigation or trial would cease to be applicable to MPs and MLAs. The other is that such Members would be exempt from the provisions of the Preventive Detention laws that are now in force in the country.

I do not think that No. 1 above was ever intended by Shri Bhupesh Gupta, though the Bill actually covers people under trial under the ordinary penal law of the country. Obviously he has not made out this point. I think he only meant to claim immunity for Members of Parliament and members of State legislatures from the provisions of the Preventive Detention laws. As the Members are aware, the Preventive Detention laws have been in force since the year 1950 and they were extended from time to time until they lapsed on 31st December, 1959, although many of the States wanted their extension much beyond that date.

So, after the lapse of that, some of the State Governments passed their own detention laws. States like Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, etc. enacted their own laws providing for preventive detention for the purpose of detaining such persons who, they thought, would create a law and order situation or might be a source of danger to the security of the state. Later on, Sir, an Ordinance was promulgated providing for detention and later it became the Maintenance of Internal Security Act and it was passed on the 7th May, 1971. So, Sir, with only a break of about two years, the Preventive Detention Act has been in force right from 1950. When the Preventive Detention Bill was first introduced in the House in 1950, the then Home Minister, Sardar Patel, had observed like this :

[Shri F. H. Mohsin]

"When law is flouted and offences are committed ordinarily, there is the criminal law which is to be enforced. But where the very basis of the law is sought to be undermined and attempts are made to create a state of affairs in which, to borrow the words of the late Shri Motilal Nehru, 'men would not be men and law would not be law', we feel justified in enforcing emergent and extraordinary laws."

This is the very purpose of which MISA was brought forward. These are the words of the late Sardar Patel when the Preventive Detention Act was passed in 1950.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN: I do not want to interrupt you. But I would like to point out one thing: These words were made against the Communists by Sardar Patel. But now the Communists are with you.

SHRI F. H. MOHSIN: It was not against the Communists alone. It was intended for the people who, in his words, "were not men".

SHRI K. CHANDRASEKHARAN: Sardar Patel never meant it that way.

SHRI F. H. MOHSIN: Even the present law is not against any political party, either against Shri Chandrasekharan's party or somebody else's. It is against such people who think they are men, but who are not real men and who take the law into their hands and this is meant to be used only against such persons.

Then, Sir, so far as the privileges of the Members are concerned, article 105(3) is there in the Constitution of India.

"...The powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution."

Under article 194, the privileges of the Legislatures of the States and their committees have also been defined. Till now, Sir, neither the Parliament nor the State Legislatures have enacted any law establishing their rights and privileges.

Sir, under the Rules of Procedure relating to the conduct of business in the Houses of Parliament, there is a requirement that whenever a Member is arrested on a criminal charge

or for a criminal offence, sentencing him with imprisonment or detaining him, the authority taking such action shall intimate to the Speaker or the Chairman as the case may be such facts indicating the reasons for the arrest or detention or conviction as the case may be. Similarly, intimation is also required to be given to the Chairman or the Speaker of the State Legislature as the case may be and these are considered essential for the proper discharge of the functions of the Legislatures and the Parliament and hence they are there. But, Sir, Mr. Bhupesh Gupta wants through his Bill another privileged class of citizens. Of course, I know that Mr. Chandrasekharan does not like that. But I am myself surprised that being a socialist and coming from the Communist Party, he is thinking in terms of a new privileged class. There are about 750 Members of Parliament.

There are about 3500 Members of Legislatures. He wants to create a special class or privileged class having immunity from arrest or detention for this class only. Of course, if he had brought some bill against the provisions Preventive Detention Law, as a whole one could understand. We know his ideas on that. He wants to take away only a certain class of people, that is, Members of Parliament and Members of the Legislatures from the provision of the MISA. He wants to create a privileged class. I cannot understand how, being a socialist, being a prominent member of the CPI he is advocating the establishment of a special class. Mr. Chandrasekharan, Mr. Rajnarain and others do not agree with these views; they have made themselves very clear. They are against the whole Act itself—the Maintenance of Internal Security Act. Of course, it is their outlook.

As I have already pointed out, MISA is meant only to protect people from unsocial elements. It is also intended to protect the States from those persons who are a danger to the security of the State. It is also intended to protect people against hoarders and black-marketeers and profiteers. We have been using it for that purpose also.

Sir, of course, hon. Members have covered a very wide range of implementation of the Maintenance of Internal Security Act in their respective areas. Many have pointed out the incidents in Bihar or UP or Kerala or elsewhere. I cannot go into details. That would be rather a discussion on the working of the Maintenance of Internal Security Act. I think the House

would get another opportunity to discuss the working of the Maintenance of Internal Security Act when the reply would of course be forthcoming. When we are discussing the limited scope of the Bill, I do not think that it would be very much relevant to do so now.

Mr. Rajnarain, as is usual with him has taken this forum to criticize some individuals, some dignitaries, who are not at all concerned with this Bill nor with the Maintenance of Internal Security Act. He has tried to make references to writ petitions pending against Shri Fakhruddin Ali Ahmed as Minister. This is not the first occasion when he has brought in the name of Mr. Fakhruddin Ali Ahmed. Even when legislation was being passed on the Rampur Raza Library, he brought in his name. That is very unbecoming of a man of his stature to bring in some one who is not concerned with this law or with this Bill. He has made some uncalled for allegations. This is not the forum to discuss all these things. Parliament cannot be made the forum to discuss all these things. Such allegations are being made by one paper which is indulging in such things. We know its intentions. We know what it stands for. But to quote what a party paper says in this House is not proper. Anyway, he has tried to discuss so many things which are not very relevant. Mr. Bhupesh Gupta has stated the reasons for bringing this Bill. He says MISA has been used to suppress Opposition parties. Many other Members have also made similar allegations, including Dr. Mathew Kurian, Mr. Chandrasekharan, Mr. Rajnarain and so many others. I have to state that when the question of security is involved and the law and order has to be maintained, we do not make any difference between this party and that party. Whoever is involved in that, we do not hesitate to take action against him, even if he happens to be a Congress man, even if he is a member of the ruling party.

To substantiate that I have got figures to show that there are quite a large number of Congress men who are also detained under the provisions of this particular Act. Sir, for the information of this House. I may quote figures of the number of persons detained during the period from 7-5-71 to 30-6-72 that 7 Congress men were detained.

Congress (O) people were 13, Jana Sangh 1, CPI 1, CPI (M) 517 and Akali Dal 1. You will notice that there were 7 Congressmen and

CPI Member was only 1. It cannot be said that it was meant to suppress the opposition parties. For the period from 1-7-72 to 30-6-73, the total detentions were 520. Out of that, 82 were Congressmen, Congress (O) 1, Jana Sangh 29, Swatantra Party 5, CPI (M) 388, Akali Dal 1 and DMK 1.

DR. K. MATHEW KURIAN : Does it mean that your main opposition is CPI (M) ?

SHRI F.H. MOHSIN : The time is also over. It is not true to say that MISA Act was intended to suppress the opposition parties. It is intended to see that the essential supplies are made available to the people at large. It was used against the black-marketeers and hoarders. It was also used against those who created a law and order problem, and who are dangerous for the security of the country. The MISA has been useful for maintaining peace and tranquility in the whole country. Therefore, I refute the allegations made in this respect by the various Members. The Bill is not acceptable to us. Of course, Mr. Bhupesh Gupta is not here. I appeal to the House to reject it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): The question is :

"That the Bill to provide for immunity to Members of Parliament and State Legislatures from detention without trial be taken into consideration."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): There are others in the names of Shri Bhupesh Gupta, Shri Sen Gupta and Shri Shyam Lal Yadav. They are not here.

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

SHRI A. K. REFAYE (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I lay on the Table of the House a copy of the Tenth Report of the Joint Committee on Offices of Profit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : The House stands adjourned till 11-00 A.M. on Monday. the 5th August, 1974.

The House then adjourned at five eight minutes past four of the clock—eleven of the clock on Monday—the 5th August, 1974.